झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक–वि0प्रा0योजना–351/01 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पो0–हिनु, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये बी0आई0टी0 सिन्दरी, (धनबाद) में चार वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम निमित आधारभूत संरचना विकसित करने एवं परियोजनान्तर्गत सृजित कुल 33 (तैंतीस) पदों का 31.03.2026 तक अवधि विस्तार प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (सम्प्रति उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के स्वीकृत्यादेश सं0 34 दिनांक 13.10.2004 द्वारा बी0आई0टी0 सिन्दरी, (धनबाद) में योजनान्तर्गत स्वीकृत 4 (चार) वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों यथा राजपत्रित 09 (नौ) एवं अराजपत्रित 11 (ग्यारह) अर्थात कुल 20 (बीस) पदों का वित्तीय वर्ष 2004–05 में पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत्यादेश संख्या 09/बजट दिनांक 30.05.2005 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 तक के लिये अवधि विस्तार की गई। स्वीकृत्यादेश सं0 34 दिनांक 13.10.2004 द्वारा सृजित पदों का विभागीय संलेख ज्ञापांक 2800 दिनांक 19.09.2013 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.09.2013 में मद संख्या 18 के रूप में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति विभागीय पत्रांक 25/योजना दिनांक 25.10.2013 द्वारा प्रदान की गयी है एवं विभागीय पत्रांक 29/योजना दिनांक 22.01.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जा चुकी है। विभागीय पत्रांक 03/योजना दिनांक 22.05.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, विभागीय पत्रांक 14/योजना दिनांक 24.06.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16, पत्रांक 04/योजना दिनांक 28.04.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17, विभागीय पत्रांक 06/योजना दिनांक 05.05.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18, विभागीय पत्रांक 04/योजना दिनांक 24.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19, विभागीय पत्रांक 06/योजना दिनांक 13.05.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, विभागीय पत्रांक 04/योजना दिनांक 11.06.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21, विभागीय पत्रांक 04/योजना दिनांक 21.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22, विभागीय पत्रांक 09/योजना दिनांक 29.07.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं विभागीय पत्रांक 12/योजना दिनांक 29.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. बी0आई0टी0 सिन्दरी, (धनबाद) में चार वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के उपर्युक्त पदों को AICTE के मापदण्ड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु समीक्षा करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1167 दिनांक 19.12.2023 द्वारा पुनर्संरचना के पश्चात राजपत्रित 23 (तेईस) तथा अराजपत्रित 10 (दस) अर्थात कुल 33 (तैंतीस) पदों का सृजन किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

   क. राजपत्रित :– प्राध्यापक–03, सह–प्राध्यापक–06 तथा सहायक प्राध्यापक–14

   ख. अराजपत्रित :– कम्प्युटर प्रोग्रामर–02, लैब असिस्टेन्ट– 05, लैब असिस्टेन्ट(01)–02 तथा चीफ

3. बी0आई0टी0 सिन्दरी, (धनबाद) में चार वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम वर्ष 2004–05 से लगातार संचालित है एवं प्रत्येक वर्ष इस पाठयक्रम में छात्रों का नामांकन किया जा रहा है। यह पाठयक्रम योजना (राज्य स्कीम) अन्तर्गत संचालित है एवं कर्मचारियों/पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि से की जाती है। पुनर्संरचना के पश्चात राजपत्रित 23 (तेईस) तथा अराजपत्रित 10 (दस) अर्थात कुल 33 (तैंतीस) पदों का विभागीय पत्रांक 07/योजना दिनांक 24.06.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. अतः उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1167 दिनांक 19.12.2023 द्वारा बी0आई0टी0 सिन्दरी (धनबाद) में चार वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम निमित AICTE के मापदण्ड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु पुनर्संरचना के पश्चात सृजित राजपत्रित के 23 (तेईस) पद तथा अराजपत्रित के 10 (दस) पद अर्थात कुल 33 (तैंतीस) पदों का राज्य स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है। अवधि विस्तार के पश्चात चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन हेतु लगभग कुल रू0 1,10,00,000/– (रू0 एक करोड़ दस लाख) मात्र का व्यय होगी इसके अतिरिक्त नियमानुसार बकाया वेतन एवं अन्य भत्ते देय होगा।

5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0योजना–351/01 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0योजना–351/01/03/योजना /राँची, दिनांक– 28.04.2025

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी, धनबाद/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियत्रंण महाविद्यालय, पलामू/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/आंतरिक वित्तीय सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/IX/25
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव